न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-01, आजमगढ़।

स्टेट---- बनाम ---- **रणवीर कुमार आदि,**

सत्र परीक्षण संख्या- 79/2026,

मु०अ०सं०-**11/2025**
धारा- **318(4),319(2),336(3),**
338,340(2),111 बी०एन०एस०
व धारा- **66(सी),66(डी) आई०टी०ऐक्ट,**
तथा धारा- **3 सार्वजनिक जुआ अधिनियम**
थानाः **साइबर क्राइम**,आजमगढ़, जनपद आजमगढ़।

आरोप

मैं **कमलापति-I** अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-01, आजमगढ़ आप अभियुक्तगण **1. रणवीर कुमार, 2. मो० शारीख शेख, 3. मो० रफीक, 4. आलोक कुमार, 5. अंगद कुमार, 6. बदरूल, 7. कृष्णा कुमार** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूं-

1. यह कि दिनांक 06.01.2025, समय अदम तहरीर, वहद स्थान अदम तहरीर, थाना अंतर्गत साइबर क्राइम पुलिस थाना आजमगढ़, जनपद आजमगढ़ में आप अभियुक्तगण ने सामान्य उद्देश्य के आशय से वादी मुकदमा शिवकुमार के मोबाईल पर 20,000/-रूपये भेजने की बात कहकर एवं वह पैसा अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करने हेतु स्कैनर भेजकर छल किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध कारित किया, जो **धारा- 318 (4) बी०एन०एस०** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण ने अपने सामान्य उद्देश्य के आशय से वादी मुकदमा शिवकुमार के मोबाईल पर 20,000/-रूपये भेजने की बात कहकर एवं वह पैसा अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करने हेतु स्कैनर भेजकर प्रतिरूपण द्वारा छल किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध कारित किया, जो **धारा- 319 (2) बी०एन०एस०** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण ने अपने सामान्य उद्देश्य के आशय से वादी मुकदमा शिवकुमार के मोबाईल पर 20,000/-रूपये भेजने की बात कहकर एवं वह पैसा अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करने हेतु छल के प्रयोजन में लाने हेतु स्कैनर भेजकर कूटरचना की। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा

Digitally signed by KAMALA PATI PAL
Date: 2026.01.20 04:43:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अपराध कारित किया, जो **धारा- 336 (3) बी०एन०एस०** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण ने अपने सामान्य उद्देश्य के आशय से वादी मुकदमा शिवकुमार के मोबाईल पर 20,000/-रूपये भेजने की बात कहकर एवं वह पैसा अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करने हेतु फर्जी स्कैनर की कूटरचना की। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध कारित किया, जो **धारा- 338 बी०एन०एस०** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
5. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण ने अपने सामान्य उद्देश्य के आशय से वादी मुकदमा शिवकुमार के मोबाईल पर 20,000/-रूपये भेजने की बात कहकर एवं वह पैसा अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करने हेतु कूटरचित स्कैनर को असली के रूप में उपयोग किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध कारित किया, जो **धारा- 340(2) बी०एन०एस०** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
6. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण ने अपने सामान्य उद्देश्य के आशय से वादी मुकदमा शिवकुमार के मोबाईल पर 20,000/-रूपये भेजने की बात कहकर एवं वह पैसा अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करने हेतु कूटरचित स्कैनर भेजकर ठगी करने हेतु संगठित अपराध कारित किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध कारित किया, जो **धारा- 111 बी०एन०एस०** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
7. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा शिवकुमार के मोबाईल पर फोन करके स्वयं को उसका परिचित बताते हुए 20,000/-रूपये भेजने की बात कही गयी एवं वह पैसा अन्य व्यक्ति को भेजने के लिए कहकर कूटरचित स्कैनर को बेईमानी के लिए उपयोग में लाया गया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध कारित किया, जो **धारा- 66सी आई०टी०ऐक्ट** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
8. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा शिवकुमार के मोबाईल पर फोन करके स्वयं को उसका परिचित बताते हुए 20,000/-रूपये भेजने की बात कही गयी एवं वह पैसा अन्य व्यक्ति को भेजने के लिए कहकर कूटरचित स्कैनर भेजने में कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखधड़ी की। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध कारित

किया, जो **धारा- 66डी आई०टी०ऐक्ट** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

9. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा शिवकुमार के मोबाईल पर फोन करके स्वयं को उसका परिचित बताते हुए 20,000/-रूपये भेजने की बात कही गयी एवं वह पैसा अन्य व्यक्ति को भेजने के लिए कहकर कूटरचित स्कैनर भेजा गया, इस प्रकार आप लोगों द्वारा ऑनलाइन माध्यम को जुआघर के रूप में संचालित कर ऐसा अपराध कारित किया, जो **धारा-3 सार्वजनिक जुआ अधिनियम** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आपको निर्देशित करता हूँ कि आपका परीक्षण उपरोक्त धाराओं में इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 20.01.2026

(कमलापति-I)

J.O. Code-UP-6168

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट सं०-01, आजमगढ़।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़ कर सुनाया एवं समझाया गया व उससे पूछा गया कि वह जुर्म स्वीकार करना चाहता है या विचारण चाहता है? अभियुक्तगण ने आरोप से इनकार किया व परीक्षण की याचना किया।

दिनांक 20.01.2026

(कमलापति-I)

J.O. Code-UP-6168

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट सं०-01, आजमगढ़।

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-01, आजमगढ़।

स्टेट---- बनाम ---- **रणवीर कुमार आदि,**

सत्र परीक्षण संख्या- 79/2026,

मु०अ०सं०-**11/2025**
धारा- **318(4),319(2),336(3),**
338,340(2),111 बी०एन०एस०
व धारा- **66(सी),66(डी) आई०टी०ऐक्ट,**
तथा धारा- **3 सार्वजनिक जुआ अधिनियम**
थानाः **साइबर क्राइम**,आजमगढ़, जनपद आजमगढ़।

दिनांक-20.01.2026

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण **1. रणवीर कुमार, 2. मो० शारीख शेख, 3. मो० रफीक, 4. आलोक कुमार, 5. अंगद कुमार, 6. बदरूल, 7. कृष्णा कुमार** जेल से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी एवं विवेचना के दौरान एकत्र किये गये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण **उपरोक्त** के विरूद्ध धारा- **318(4),319(2),336(3),338, 340(2),111 बी०एन०एस०** व धारा- **66(सी),66(डी) आई०टी०ऐक्ट** तथा धारा- **3 सार्वजनिक जुआ अधिनियम** का आरोप प्रथम दृष्टया बनता है। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के तहत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया एवं विचारण की याचना किया।

अभियोजन साक्षीगण जरिये समन तलब हो। पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनाँक **02.02.2026** को पेश हो।

दिनांक 20.01.2026

(कमलापति-I)

J.O. Code-UP-6168

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट सं०-01, आजमगढ़।